राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5926 / 2022

हनुमान प्रसाद शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएनए201928010039)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.11.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी विशेष अध्यापक के पद पर रा.उ.प्रा.वि. मुण्डिया, लालसोट जिला दौसा में कार्यरत है। उनका आगे कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारपुरा व ग्राम पंचायत श्यामसिंहपुरा, बांदीकुई में विशेष श्रेणी के 5 बच्चे अध्ययनरत् होने के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने उक्त विद्यालयों को रिक्त पदों की सूची में शामिल नहीं किया तथा दिनांक 31.05.2022 को प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के लिए विशेष अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग आयोजित की, जिसमें केवल मात्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मूडिया, लालसोट का ही पद रिक्त दर्शित किया। जिस पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.06.2022 के द्वारा पदस्थापित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 01.06.2022 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन व ई–मेल के द्वारा रिक्त पदों की सूची से अवगत कराया, परंतु आज तक भी राज्य सरकार के आदेश अपीलार्थी का पदस्थापन नहीं किया गया। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)